प्रेस नोट दिनांक 16.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस एवं स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही में 38.42 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs) बरामद, 01 अभियुक्त जुनैद अहमद गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कंधई पुलिस एवं स्पेशल टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त जुनैद अहमद पर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस सहित 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज-

दिनांक 15.07.2026 की रात्रि में थाना कंधई पुलिस एवं स्पेशल टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs) लेकर ग्राम पूरे देवयानी की ओर जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा सराय जमुआरी नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

नियमानुसार अभियुक्त को उसके अधिकारों से अवगत कराते हुए क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह की उपस्थिति में तलाशी ली गई, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से कुल 38.42 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs) बरामद हुई। बरामद मादक पदार्थ को विधिक प्रक्रिया के अनुसार सील कर कब्जे पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 38.42 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs) बरामद होने के संबंध में थाना कंधई पर मु0अ0सं0 161/2026, धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जुनैद अहमद पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी ग्राम पूरे देवयानी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। साथ ही अभियुक्त से बरामद मादक पदार्थ के स्रोत तथा इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह बरामद एम.डी. नशीले पदार्थ को बिक्री के उद्देश्य से लेकर जा रहा था तथा इसी से आर्थिक लाभ अर्जित कर अपना जीविकोपार्जन एवं शौक पूरे करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. जुनैद अहमद पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी ग्राम पूरे देवयानी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त जुनैद अहमद पुत्र अब्दुल सलाम(HS N0. 2B) का अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 0139/2019, धारा- 147, 148, 149, 286, 307, 308, 323, 326 भादवि., थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0- 0243/2021, धारा- 120-बी, 286, 427, 506 भादवि., थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़ ।

3. मु0अ0सं0- 0324/2018, धारा- 25 आयुध अधिनियम, 1959, थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0- 0196/2016, धारा- 147, 148, 149, 307, 323, 427, 504 भा.दं.सं., थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0- 0145/2018, धारा- 147, 307, 504, 506 भा.दं.सं., थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0- 0272/2019, धारा- 174-ए भा.दं.सं., थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0- 0266/2020, धारा- 25(3) आयुध अधिनियम, 1959, थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0- 0324/2020, धारा- 120-बी, 307 भा.दं.सं., थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0- 0080/2021, धारा- 2, 3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0- 0242/2023, धारा- 504, 506 भा.दं.सं., थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0- 0003/2026, धारा- 115(2), 126(2), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना- कंधई, जनपद- प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0- 0015/2018, धारा- 147, 148, 149, 286, 323, 427, 504, 506 भा.दं.सं., थाना- पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0- 0244/2022, धारा- 323, 325, 504, 506 भा.दं.सं., थाना- पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़।
14. मु0अ0सं0- 0198/2024, धारा- 323, 341, 504, 506 भा.दं.सं., थाना- पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़।
15. मु0अ0सं0- 0047/2025, धारा- 115(2), 351(2), 352, 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना- पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़।
16. मु0अ0सं0 209/2018 धारा 147,148,307,504,506 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
17. मु0अ0सं0 161/2026, धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-
38.42 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs)

पुलिस टीम-
उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह हे0का0 बद्रीनारायण, का0 अभिषेक चौरसिया, रि0का0 शिवकुमार गौंड, रि0का0 मनीष कुमार सिंह थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।

स्पेशल टीम-
प्रभारी उ0नि0 विजेंद्र सिंह मय हमराह हे0 का0 भानु प्रताप सिंह, का0 माधवेश राय, का0 आनंद यादव, का0 पियूष यादव ।
सर्विलांस सेल-
प्रभारी उ0नि0 अजीत सिंह जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यवाही: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने व शांति भंग करने वाला 01 अभियुक्त विकास सरोज गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कंधई पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने व लोक शांति भंग करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटना का विवरण:
दिनांक 15.07.2026 को वादी निवासी ग्राम गंगेहटी, थाना कंधई, प्रतापगढ़ द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम गंगेहटी निवासी विकास सरोज पुत्र वीरेन्द्र सरोज द्वारा फेसबुक आईडी का दुरुपयोग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अत्यंत अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। साथ ही, एक विशेष समुदाय के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और शासन-प्रशासन के विरुद्ध धमकीपूर्ण व भड़काऊ बातें प्रसारित की जा रही हैं।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना कंधई में मु0अ0सं0 159/2026 अंतर्गत धारा 352, 351(3), 353(1) बीएनएस एवं धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पंजीकृत मुकदमे के संबंध में अभियुक्त विकास सरोज द्वारा वादी मुकदमा के साथ कहासुनी की गई और वह आमादा फौजदारी (हिंसक) हो गया। मौके पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया गया, परंतु अभियुक्त और अधिक उग्र हो गया।

थाना कंधई की पुलिस टीम (उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद व रि0का0 अभिषेक कुमार सिंह) द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान तत्परता दिखाते हुए नामजद अभियुक्त विकास सरोज पुत्र वीरेन्द्र सरोज, निवासी ग्राम गंगेहटी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध प्रचलित कानूनों के तहत सुसंगत धाराओं में आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. विकास सरोज पुत्र वीरेन्द्र सरोज, निवासी ग्राम गंगेहटी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, रि0का0 अभिषेक कुमार सिंह थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, 01 अभियुक्त मदन प्रजापति गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना कंधई पुलिस को मिली सफलता: मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13.07.2026 को वादी निवासी ग्राम गहरौली, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना कंधई पर सूचना दी गई कि ग्राम बोझी में शटरिंग कार्य के दौरान कार्यस्थल के बाहर खड़ी उनकी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कंधई में मु0अ0सं0 158/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में थाना कंधई के उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, का0 राहुल कुमार, रि0का0 अभिषेक कुमार सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त 1. मदन प्रजापति पुत्र रामकिशुन प्रजापति, निवासी ग्राम खुसा का पुरवा (किशुनगंज), थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ढेलहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल बोझी गांव में स्थित सड़क किनारे बन रहे नवनिर्मित मकान के बाहर से दिनांक 13/07/2026 को चुराया था जिसे पिछले दो दिन से लेकर घूम रहा था इसको बेचने के फिराक में था तभी आप लोगो ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया तथा यह भी बताया कि मैं पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मदन प्रजापति पुत्र रामकिशुन प्रजापति, निवासी ग्राम खुसा का पुरवा (किशुनगंज), थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त मदन प्रजापति पुत्र रामकिशुन प्रजापति का अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 24/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद चोरी की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, का0 राहुल कुमार, रि0का0 अभिषेक कुमार सिंह थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ0नि0 अमरेश कुमार मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिह, का0 विनोद कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0न0 194/23 धारा 323/452/504/506 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त शेरा पुत्र बुधिराम सरोज निवासी ग्राम उड़ी का डीह थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शेरा पुत्र बुधिराम सरोज निवासी ग्राम उड़ी का डीह थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

पुलिस टीम -

उ0नि0 अमरेश कुमार मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिह, का0 विनोद कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही : अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त शिवम तिवारी उर्फ आदर्श तिवारी को किया गया गिरफ्तार।

प्रतापगढ़।

रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को अवैध तमंचा एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 265/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 रामनरेश मय हमराह उ0नि0 बनवारी लाल पाल, का0 नीरज कुमार एवं का0 राहुल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं अपराधियों की तलाश के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत महिमापुर-घुईसरनाथ रोड के पास से शिवम तिवारी उर्फ आदर्श तिवारी पुत्र साधू तिवारी उर्फ शंकर तिवारी, निवासी ग्राम पूरे हरबक्स तिवारी का पुरवा मजरा महमदपुर, थाना अमेठी, जनपद अमेठी, उम्र करीब 25 वर्ष को को 01 एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया तथा 01 अदद कार को अन्तर्गत धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। इस संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 265/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवम तिवारी उर्फ आदर्श तिवारी पुत्र साधू तिवारी उर्फ शंकर तिवारी, निवासी ग्राम पूरे हरबक्स तिवारी का पुरवा मजरा महमदपुर, थाना अमेठी, जनपद अमेठी, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर।

02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

01 अदद कार (धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज)।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रामनरेश मय हमराह उ0नि0 बनवारी लाल पाल, का० नीरज कुमार, का0 राहुल यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

शादी का झांसा देकर युवती को भगाने एवं अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में वांछित अभियुक्त वशीम गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुंडा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त वशीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.07.2026 को वादी निवासी ग्राम बरियावा, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री को ग्राम हरदेवनगर, थाना नवाबगंज निवासी वशीम पुत्र हैदर अली शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। साथ ही अभियुक्त द्वारा युवती को जान से मारने की धमकी देने तथा बिना सक्षम प्राधिकारी को सूचना दिए निकाह कर पत्नी के रूप में अपने साथ रखने का भी आरोप लगाया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0-104/2026, धारा 87, 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 142 बीएनएस एवं धारा 8(6), उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई।

दिनांक 16.07.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में तलाश वांछित अभियुक्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर जमादार बाबा गेट, वाजिदपुर के पास से अभियुक्त वशीम पुत्र हैदर अली, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम हरदेवनगर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण : वशीम पुत्र हैदर अली, उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी ग्राम हरदेवनगर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0-104/2026 धारा 87, 351(3), 142 बीएनएस एवं धारा 8(6) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम : उ0नि0 रामलाल राम, का0 नीरज कुमार यादव, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस की त्वरित कार्यवाही: कान काटकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में नामजद 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा मारपीट एवं कान को दांत से काटकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त छेदीलाल उर्फ विकास सरोज को किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।
दिनांक 15.07.2026 को वादी निवासी ग्राम बभनीपुर अनिरुद्ध थाना लालगंज द्वारा आरोप लगाया गया है कि दिल्ली जाने के दौरान रास्ते में अभियुक्त एवं उसके एक साथी ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान अभियुक्त द्वारा वादी के दाहिने कान को दांत से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 263/2026 धारा 115(2), 117(3), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 01 नामजद व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 नितीश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 263/26 धारा 115(2)/117(3)/352/351 (3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त, छेदीलाल उर्फ विकास सरोज पुत्र गनेसीलाल उर्फ गंशीलाल नि० ग्राम बलभद् का पुरवा वीरसिंहपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को नौढ़िया पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताय कि बभनी पूरे अनिरुद्ध के रहने वाले वादी के साथ मैंने मारपीट किया था जिस सम्बन्ध में थाना लालगंज मे मुकदमा लिखा गया है और पुलिस मुझे ढूंढ रही है इसीलिये मैं अपने बचाव मे इधर उधर भाग रहा था, कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. छेदीलाल उर्फ विकास सरोज पुत्र गनेसीलाल उर्फ गंशीलाल नि० ग्राम बलभद् का पुरवा वीरसिंहपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 नितीश यादव, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां0 प्रद्युमन यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, वाद सं0 276/2019 अ0सं0 965/2018 धारा 323,504,506 भादवि व 3 (1)द SC/ST Act से संबंधित 01

अभियुक्त 1.दिलीप सिंह उर्फ मोछा निवासी भुवालपुर डोमीपुर चौकी मोहनगंज थाना को० देहात प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत मोहनगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.दिलीप सिंह उर्फ मोछा निवासी भुवालपुर डोमीपुर चौकी मोहनगंज थाना को० देहात प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -
उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां0 प्रद्युमन यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।